

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 452/11

संस्थापन दिनांक:-15/12/11

फाईलिंग नं. 233504000592011

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,

आमला (सामान्य), जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. रितेश पिता रघुवीर सिंह, उम्र 28 वर्ष
2. श्रीराम पिता मनोहर यादव उम्र 26 वर्ष
क. 1 व 2 निवासी छिपन्या पिपरिया,
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. भूपत पिता ईश्वर भलावी, उम्र 25 वर्ष
4. रहमू पिता छोटू गोंड, उम्र 22 वर्ष वर्ष
क. 3 व 4 निवासी भोंडदेही,
थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 11.12.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध म.प्र. वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा (5)1 सहपठित धारा 16 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.09.2011 को थाना आमला जिला बैतूल स्थित लालावाड़ी से तिरमउ पी.डब्ल्यू.डी. रोड में बुलेरो पिकअप क. एमपी-48-जी-0922 से विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन चरपट 46 नग का परिवहन किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त टट्टू के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2016 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। यह निर्णय केवल अभियुक्तगण रितेश, श्रीराम, भूपत एवं रहमू के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.09.2011 को वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना मिलने पर परिक्षेत्र सहायक लादी, आमला, मोवाड़, वन चौकी मोवाड़ का स्टाफ तथा सुरक्षा श्रमिक हमराह उड़नदस्ता एवं अन्य वाहन से आमला से लालावाड़ी तिरमउ डामर रोड पर गये। कुछ समय बाद गाड़ी की लाईट दिखाई दी जिसे घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया परंतु वह नहीं रुकी जिस पर गश्तीदल द्वारा पीछ कर रोका गया। वाहन रोकने पर तीन अभियुक्त कीचड़ एवं अधेरा का फायदा उठाकर भाग गये तथा दो अभियुक्त पकड़ा गये। वाहन पिकअप क्र. एमपी-48-जी-0922 की जांच करने पर उसमें सागौन की चरपट भरी थी। पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्त द्वारा वैध कागजात पेश नहीं किये जाने पर दोनों अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। मौके पर पिकअप वाहन से चरपट उतारकर नापजोप कर सूची तैयार कर जप्तीनामा, पंचनामा तैयार कर वन अपराध प्रकरण क्र. 687/37 जारी कर जप्त वनोपज सागौन चरपट 46 नग 0.785 घनमीटर परिक्षेत्र सहायक आमला के सुपुर्द की गयी। अभियुक्तगण के बयान लेख किये गये तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर बुलेरो पिकअप क्र. एमपी-48-जी-0922 से विनिर्दिष्ट वन उपज सागौन चरपट 46 नग का परिवहन किया ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्र. 01 का निराकरण

6 संतोष (अ.सा.-1) नेहरु (अ.सा.-3) रामचंद्र कवडे (अ.सा.-4) एवं राजेन्द्र मोखलगाय (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि वे शासकीय वाहन से लालवाड़ी तिरमउ मार्ग सूचना मिलने पर गए थे। जब वे मौके पर पहुंचे तो रात्रि लगभग 11 बजे एक गाड़ी की लाइट दिखाई दी। साक्षी संतोष ,

रामचंद्र कवडे एवं राजेन्द्र मोखलगाय ने आगे यह बताया कि उन्होंने गाडी को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक गाडी को कच्चे रोड से लेकर भागने लगे। साक्षीगण ने आगे यह भी बताया कि उनके द्वारा वाहन से उस गाडी का पीछा किया गया। वाहन को रोका तो वाहन में कुछ व्यक्ति भाग गए, परंतु वाहन में बैठे दो व्यक्ति अभियुक्त रितेश और श्रीराम को पकड़ लिया गया। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी नेहरु ने आगे यह बताया कि पकड़े गए बुलेरो पिकअप वाहन में 46 नग सागौन की चरपट थी।

7 रामचंद्र कवडे (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया कि बुलेरा पिकअप वाहन का नंबर एमपी48 जी 0922 था और पिकअप वाहन में सागौन की चरपट होने के संबंध में अभियुक्त रितेश से वैध कागजात पूछे जाने पर अभियुक्त ने कोई भी कागज नहीं दिखाया तब वाहन से 46 नग चरपट उतार ली गई, मौके का पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया। चरपट की सूची बनाकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा पीओआर राजेन्द्र मोखलगाय के द्वारा काटा गया। तत्पश्चात् मौके पर ही अभियुक्त रतेश एवं श्रीराम का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया तथा अभियुक्त टंटू, रहमू एवं भूपत के संबंध में फरारी पंचनामा तैयार किया गया।

8 राजेन्द्र मोखलगाय (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि उसके द्वारा मौके पर पीओआर काटा गया था और जप्तशुदा वनोपज की सूची उसके द्वारा तैयार की गई थी। उसके समक्ष मौके का पंचनामा और जप्तीनामा तैयार किया गया था। संतोष (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया कि सागौन की गीली चरपट थी। अभियुक्त से सागौन रखे जाने के संबंध में दस्तावेजों की पूछताछ की थी, कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे। उसके समक्ष मौके पर ही सागौन की चरपटों का नापजोख कर सूची तैयार की गई थी एवं पंचनामा तैयार किया गया था। राजेश (अ.सा.-2) ने यह बताया कि उसके समक्ष मौके का पंचनामा एवं सागौन की चरपटों की जप्ती की कार्यवाही की गई थी।

9 बचाव अधिवक्ता श्री सोलंकी ने यह तर्क प्रकट किया कि अभियुक्त भूपत एवं रहमू को मौके पर देखा जाना किसी भी साक्षी ने नहीं बताया है और ना ही उनसे जप्ती की कोई कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में अभियुक्त रहमू एवं भूपत के संबंध में अभियोजन कथ में संदेह है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। बचाव अधिवक्ता श्री दिलीप सोनी ने यह तर्क प्रकट किया कि अभियुक्त रितेश एवं श्रीराम के संबंध में साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी संतोष (अ.सा.-1) राजेश (अ.सा.-2) नेहरु (अ.सा.-3) रामचंद्र कवडे (अ.सा.-4) राजेन्द्र मोखलगाय (अ.सा.-5) ने सभी ने मुख्य परीक्षण में मौके पर पिकअप वाहन को रोकना और पिकअप वाहन में अभियुक्त रितेश एवं श्रीराम का होना तथा वाहन में 46 नग सागौन की चरपट होना बताया है। साक्षी रामचंद्र कवडे (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि मौके का पंचनामा बनाते समय अभियुक्त भूपत और रहमू नहीं मिल थे और अभियुक्त भूपत और रहमू के नाम भी उन्हें नहीं पता था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि वाहन के ड्रायवर और मालिक ने इनका नाम बताया था। इस सुझाव को भी सही बताया कि अभियुक्त भूपत और रहमू से जप्ती कार्यवाही नहीं की गई। अभियुक्त भूपत और रहमू के कथन उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे, क्योंकि वे फरार थे और फरारी में ही चालान पेश किया गया था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि मौके पर अभियुक्त श्रीराम और रितेश नहीं मिले थे और उनसे जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। राजेन्द्र मोखलगाय (अ.सा.-5) ने प्रति परीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया कि मौके पंचनामा पर उसने परिक्षेत्र कार्यालय में हस्ताक्षर किए थे। स्वतः कहा कि मौके पर ही हस्ताक्षर किए थे। संपूर्ण कार्यवाही करने में मौके पर लगभग 1 घंटा लगा था। घटना दिन को वाहन में वाहन चालक और मालिक ही मिला था, शेष 2-3 लोग भाग गए थे। इस सुझाव को सही बताया कि जो लोग मौके से भाग गए थे उनके संबंध में जप्ती की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

11 संतोष (अ.सा.-1) ने प्रति परीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया कि वह अभियुक्त रितेश और श्रीराम को नहीं जानता है। इस सुझाव को भी गलत बताया कि बुलेरो पिकअप वाहन से कोई भी सामान की जप्ती नहीं की गई थी। इस सुझाव को भी गलत बताया कि उसे समक्ष चरपट की गिनती नहीं की गई। स्वतः कहा कि सभी न चरपट गिने थे। इस सुझाव को भी गलत बताया कि उसके समाने मौका पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। जब वाहन को पकड़ा गया तो उसमें कुल 5 लोग थे, लेकिन मौके पर 2 लोग ही पकड़ाए थे। इस सुझाव को भी सही बताया कि मौका पंचनामा बनाते समय अभियुक्त श्रीराम और रितेश के अलावा कोई भी नहीं मिला था, क्योंकि वे घटनास्थल से फरार हो गए थे और उसे आज दिनांक तक भी शेष अभियुक्तगण के नाम नहीं पता।

12 नेहरु (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि मौके पर गाड़ी मालिक ने अपना नाम रितेश बताया था और उस पर 46 नग चरपट थी। वह अभियुक्त भूपत और रहमू को नहीं पहचानता है। अभियुक्तगण का नाम स्टॉफ ने पूछा था। पुनः से इस सुझाव को गलत बताया कि उसे आमला आकर

झायवर और मालिक का नाम पता चला। स्वतः कहा मौके पर ही वाहन मालिक का नाम पता चल गया था।

13 राजेश (अ.सा.-2) जो कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में अपने समक्ष मौका पंचनामा एवं जप्ती की कार्यवाही किया जाना बताया है। यद्यपि साक्षी ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि उसने केवल कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस सुझाव को भी सही बताया कि जप्ती की कार्यवाही किस अभियुक्त से की गई, उसे नहीं मालूम। परंतु उपर्युक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन की सहायता प्राप्त होती है कि मौके पर यह साक्षी उपस्थित था। स्वयं बचाव अधिवक्ता ने यह सुझाव दिया है कि किस अभियुक्त से जप्ती की कार्यवाही की गई, उसका नाम उसे नहीं मालूम। स्पष्टतः मौके पर जप्ती की कार्यवाही तो हुई है, यद्यपि साक्षी उस समय किसी का नाम नहीं जानता था। इस साक्षी के कथनों से अभियोजन का आंशिक समर्थन तो होता ही है।

14 प्रकरण में साक्षी संतोष (अ.सा.-1) नेहरू (अ.सा.-3) रामचंद्र कवडे (अ.सा.-4) राजेन्द्र मोखलगाय (अ.सा.-5) ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किए हैं तथा साक्षीगण के कथनों में परस्पर कोई विरोधाभास भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। साक्षीगण अपने कथनों पर स्थित हैं। सभी साक्षी इस कथन पर अखंडित रहे हैं कि मौके पर पिकअप वाहन को पकड़ा गया और पिकअप वाहन में अभियुक्त श्रीराम एवं रितेश थे और वाहन में 46 नग सागौन की चरपट थी। जिसके संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज अभियुक्तगण के पास नहीं थे। परंतु उपर्युक्त सभी साक्षीगण ने अभियुक्त भूपत एवं रहमू का मौके पर ना देखा जाना एवं उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही ना किया जाना बताया है। इस प्रकार अभिलेख पर अभियुक्त भूपत एवं रहमू के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण श्रीराम एवं रितेश ने ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना अभिवहन पास के 46 नग सागौन की चरपट का परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण रितेश एवं श्रीराम को म.प्र. वनोजप व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 16 सहपठित धारा 5 के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है, परंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त भूपत एवं रहमू ने बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना अभिवहन पास के 46 नग सागौन की चरपट का परिवहन किया। फलतः भूपत एवं रहमू को दोषमुक्त किया जाता है।

16 अभियुक्तगण भूपत एवं रहमू के न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त श्रीराम एवं रितेश के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

17

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

17. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन के परिवहन का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

18 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा वनोपज सागौन की अवैध रूप से परिवहन किए जाने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

19. अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रख अभियुक्तगण श्रीराम एवं रितेश को म.प्र. वनोपज व्यापार अधिनियम 1969 की धारा (5)1 सहपठित धारा 16 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये 1-1 वर्ष के कारावास एवं 2000/-2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 2-2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

20 प्रकरण में जप्तशुदा 46 नग सागौन की चरपट के संबंध में दिनांक 06.05.2015 को विक्रय कर राशि शासकीय कोषालय में जमा करने के संबंध में आदेश किया जा चुका है तथा प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एमपी-48-जी-0922 वन परिक्षेत्र आमला की अभिरक्षा में है। उपर्युक्त संपत्तियों

के संबंध में अंतिम आदेश अभियुक्त टंटू के संबंध में निर्णय पारित करते समय किया जावेगा।

21. अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22. प्रकरण में अभियुक्त टंटू फरार है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार जमा हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)